दिल्ली मे बलात्कार और महिला आक्रोश

पिछले दिनो दिल्ली मे एक सामूहिक बलात्कार की घटना हुई। बलात्कार का तरीका और उसके बाद लडकी और उसके साथी को चलती गाडी से नीचे ढकेलने की घटना अत्यन्त अमानवीय थी। घटना के पूर्व इन्ही अपराधियों ने एक व्यक्ति से आठ हजार रूपये लूटकर उसे भी चलती गाडी से धक्का दे दिया था। इसी दिन दिल्ली के आस पास ही एक महिला ने अपने जीवित पति के ग्यारह टुकडे करके लाश के टुकडे बाहर फेंक दिये थे। दोनो घटनायें एक ही दिन की है।

बलात्कार प्रकरण पूरे भारत मे एक तूफान के रूप मे आया। देश भर की आधुनिक महिलाओं ने पहल करके इस घटना पर रोष व्यक्त किया। संसद में जमकर हंगामा हुआ जिसमे सभी राजनैतिक दलों की महिला सांसदो ने एक से बढकर एक तरीके से अपना आक्रोश व्यक्त किया। कोई भी सांसद महिला किसी अन्य से जरा भी पीछे नहीं दिखना चाहती थी। सुषमा स्वराज ने मांग की कि अपराधियो को जल्दी से जल्दी फांसी दी जाये। जया बच्चन अपनी भावनाएँ व्यक्त करते समय फफक फफक कर रो पडीं। सोनिया गॉधी ने तत्काल ही मुख्यमंत्री को एक कडा पत्र लिखा और पीडित लडकी से मिलने गई। गिरजा व्यास ने भी बहुत ही मार्मिक भाषण दिया। न्यायपालिका भी इस घटना मे पीछे नही रही। न्यायाधीश ज्ञानसुधा जी ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उपाय करने की बात कही। उच्च न्यायलय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की स्वतः निगरानी करने की बात कही। मीडिया जगत भी बहुत आगे आगे दौड रहा था। दिन भर लाइव चर्चा चलती रही। नीरजा चौधरी जी एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री से मिलकर अपने सुझाव दे आई और अपना निवेदन भी कर आई। मुख्यमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा कर दो। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने बे सिर पैर का सुझाव दिया कि बलात्कार के अपराधियों को नपुंसक बना दिया जाय तथा फॉसी भी दी जाय। सरकार के अनेक मंत्रालयों ने अपने अपने तरीके से प्रशासनिक रोकथाम के उपाय किये। मानवाधिकार संगठनो ने जंतर मंतर पर नाटक प्रस्तत करके समाज में जागरूकता की बात की। टीम अरविन्द केजरीवाल ने भी प्रदर्शन करके अपनी भावनाएँ रखीं। भाजपा की महिला सांसदो ने कुछ पुरूष सांसदो के साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और अपराधियों को फॉसी देने की मॉग की। किरण बेदी ने भी इस संबंध मे अपना पक्ष और सुझाव रखे। दिल्ली के बाहर मुबई मे तथा अन्य शहरों मे भी प्रदर्शन हुए। अधिकांश लोगो ने अपराधियों को फॉसी तक देने की मॉग की। अधिकांश लोगो ने बलात्कार के विरूद्ध कठोर कानून बनाने की मांग की। अधिकांश लोगो ने पुलिस विभाग की निष्क्रियता के विरूद्ध जमकर गुस्सा निकाला। उच्च न्यायलय ने भी पुलिस विभाग से प्रश्न पूछा कि गाडी में परदे लगे थे लाइट बुझी थी गाडी के रास्ते मे पॉच चेक पोस्ट पार हुए फिर भी गाडी कहीं रोकी क्यों नही गई। अनेक शहरों मे कैन्डिल मार्च निकाला गया जिसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। कई जगह प्रार्थनाएं भी हुई और यज्ञ भी हुए। सारे देश मे बलात्कार के विरूद्ध एक तूफानी आक्रोश दिखा। ऐसा महसूस हुआ जैसे सम्पूर्ण भारत बलात्कार के विरूद्ध डटकर खडा हो गया है। अब भविष्य में यदि बलात्कार समाप्त नहीं भी होंगे तो कम तो जरूर हो जायेगें। अब न्यायपालिका विधायिका पुलिस पत्रकारिता. स्वयंसेवी संगठन मानवाधिकार संगठन. अधिवक्ता गण आदि सभी समूह बलात्कार के विरूद्ध ईमानदारी से एकजुट हो गयें हैं। अब बलात्कार तो इन संगठित ताकतो के समक्ष टिक नहीं सकता।

पूरे देश में जो आक्रोश दिखा उससे ऐसा लगा जैसे ऐसी घटना भारत मे पहली बार हुई हो जिसने बलात्कार और हिंसा के सम्बन्ध मे भारत के उज्जवल रेकार्ड को कलंकित कर दिया हो। जबकि भारत मे सिर्फ दिल्ली मे ही पिछले दस वर्षो मे बलात्कार या बलात्कार और हत्या की घटनाऐं आठ गुनी तक बढ गई हैं। दिल्ली की आबादी दस वर्षो मे मात्र दो गुनी हुई और बलात्कार हत्या आठ गुनी। देश के अन्य भागों मे भी यह वृद्वि दर लगभग ऐसी ही है। भारत का जो क्षेत्र पारंपरिक जीवन जी रहा है और अल्पशिक्षित अविकसित है वहॉ ऐसी बलात्कार वृद्वि का प्रतिशत कम है और विकसित शिक्षित आधुनिक क्षेत्रों मे ज्यादा। यह कोई अप्रत्याशित नई घटना नहीं थी। दूसरी बात यह भी थी कि बलात्कार करने वाले कोई ऐसे स्थापित व्यक्तित्व नही थे जिन्होने बलात्कार करने और छिपाने में अपने राजनैतिक आर्थिक प्रशासनिक शक्ति का उपयोग किया हो। बलात्कार करने वाले सबके सब सामान्य स्तर के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे जो इस तरह के कृत्यो मे पूर्व मे भी पकडे जाकर न्यायालयों से छूटते रहें हैं। विदित हो कि इनसे भी कई गुना ज्यादा खूंखार अपराधी जिस पर हत्या जैसे अपराधों के सैकडों प्रकरण हैं वह इसी दिन एक नागरिक मुठभेड मे मारा गया किन्तु उसके इतने गंभीर अपराधो की चर्चा तक नही हुई। फिर क्या कारण रहा कि यह प्रकरण इतना ज्यादा उछला?

मैने इस प्रकरण को कई तरह से समझा। सभी राजनैतिक दल, मीडिया कर्मी सामाजिक संस्थाओं के लोग अपने अपने महिला सहयोगियों को ही आगे क्यों कर रह थे? क्या यह प्रकरण महिलाओं पर पुरूषों का अत्याचार था या अपराध शरीफों पर। एक प्रश्न बार बार उठाया गया कि ऐसी बलात्कार की घटनाऐं सिर्फ महिलाओं के विरूद्ध ही क्यों होती है? मै नही समझा कि प्रश्नकर्ताओ का आशय क्या है? बलात्कार का तो प्राकृतिक स्वरूप ही महिलाओं तक सीमित है। फिर ऐसा प्रश्नक्या? हमेशा ही युद्ध के समय भी पुरूष मारे जाते रहें हैं और महिलाऐं बलात्कार का शिकार हुई हैं। आज भी पुरूषों के साथ होने वाले अपराधों का चरित्र कुछ भिन्न तथा महिलाओं के विरूद्ध अपराधो मे बलात्कार का उपयोग होता है। भारत पाकिस्तान दंगो या गुजरात दंगो का इतिहास भी ऐसा ही एकपक्षीय रहा है। इस घटना को महिलाओं के विरूद्ध पुरूषों का अत्याचार स्थापित करके महिला पुरूष के बीच के सांमजस्य को वर्ग संघर्ष मे बदलना तो इन सबकां उद्वेश्य नही था? कहीं ऐसा तो नही था कि बढते हुए बलात्कार मे अपनी अक्षमता के संभावित छींटों के डर से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, समाजसेवी, मानवाधिकार संगठन पहले ही जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर अपना दामन बचाते रहे हों? कहीं ऐसा तो नही कि दिल्ली के संभावित विधानसभा चुनावों के लाभ हानि के गणित का आंकलन करके राजनैतिक दल आक्रमण और बचाव के मार्ग खोजते रहे हों? क्योंकि सबका निशाना या तो शीला दीक्षित थीं या दिल्ली पुलिस। ऐसा भी संभव है कि ये लोग भारत मे बढ रही प्रमुख ग्यारह समस्याओं मे से बारी बारी से एक एक को हाई लाइट करने की खानापूर्ती करती रहे। विदित हा कि भारत की ग्यारह समस्याओं मे (1) चोरी डकैती लूट (2) बलात्कार (3) मिलावट कमतौल (4) जालसाजी धोखाधडी (5) हिंसा, आतंकवाद (6) भ्रष्टाचार (7) चरित्र पतन (8) साम्प्रदायिकता (9) जातीय कटुता (10) आर्थिक असमानता (11) श्रम शोषण शामिल हैं। हमारे नेता कभी मिलावट खोरो को फांसी दो का नारा उछालते है तो कभी आतंकवादी अफजल गुरू को । कभी ये साम्प्रदायिकता के विरूद्ध एक जुट होते है तो कभी भ्रष्टाचार करने वालों को फासी पर चढाने की बात होती है। इसी क्रम मे इस बार बलात्कार का नम्बर आ गया हो । वैसे भी इस हो हल्ले मे एक स्वर से फांसी की बात उठी किन्तु फांसी विरोधी ग्रुप बिल्कुल चुपचाप किनारे छिपा रहा। कविता श्रीवास्तव प्रायः बहुत जोर से फांसी के विरूद्ध बोलती हैं परन्तु इस मुहिम क समय तो वे दूर रही। वैसे भी फांसी की मांग करने वाले यह भूल जाते है कि यदि बलात्कार मे फांसी होगी तो बलात्कार और हत्या एक साथ होगी तब क्या होगा? फिर यह बलात्कार वैसा बलात्कार नहीं था जैसे पाकिस्तान बंटवारे या गुजरात दंगो के समय हुआ। यह बलात्कार अपनी शारीरिक भूख मिटाने

के निमित्त किया गया बलात्कार था जो एक आपराधिक कृत्य होते हुए भो किसी षडयंत्र या बदले की भावना से प्रेरित नही था । जब व्यक्ति पर कामदेव सवार होता है तो वह फांसी तक का भय भूल जाता है। प्रधानमंत्री बर्ल्युस्कोनी की कई कहानियां हमने सुनी है। इसलिये बिना साचे समझे हर मामले को फांसी से जोड देना ठीक नहीं । कारण चाहे जो भी रहा हो किन्तु इतना स्पष्ट है कि पूरे भारत मे तंत्र से जुडे सभी घटको द्वारा एक साथ उठायी गयी आवाज मात्र बलात्कार जैसे अपराध का समाधान खोजने जैसे साफ साफ उद्देश्य तक सीमित नहीं थी । इसके पीछे कोई न कोई छिपा एजेन्डा भी अवश्य था। ऐसा लगा जैसे सब लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिये किसी घटना की प्रतीक्षा मे हो और इस घटना ने उन्हे वह अवसर दे दिया हो।

यह सब होते हुए भी हमे यह तो विचारना ही होगा कि भारत मे लगातार बढ रही बलात्कार की घटनाओं का दोषी कौन? स्वाभाविक है कि स्वतंत्रता के बाद जबसे तंत्र से जुडी विभिन्न इकाइयो ने बलात्कार रोकने का काम सम्हाला है तब से ये घटनाएं दिन दूनी रात चौगुनी बढ रही है। तंत्र से जुडी वह इकाई तो दोषी नहीं जो विवाह की उम्र बढाने या वैश्यावृत्ति बार बालाओ पर रोक जैसी बे सिर पैर की बाते करके अपत्यक्ष रूप से बलात्कार की परिस्थितियों का विस्तार कर रही है अथवा वह इकाई तो दोषी नहीं जो जूआ शराब गुटखा और तम्बाकू निषेध जैसे गैर आपराधिक कार्यो को अपराध बना बना कर पुलिस और न्यायालय को ओवर लोडेड कर रहे है? कही वे लोग तो दोषी नही जो परिवार व्यवस्था को कमजोर करने को ही आधुनिकता समझ रहे हो अथवा वे भी दोषी हो सकते है जो स्त्री पुरूष के बीच की दूरी घटाने मे स्वाभाविक से ज्यादा तेज गति से दोड रहे हो और उसके परिणाम मे बलात्कार बढ रहे हो । कारण चाहे जो भी हो किन्तु है इन्ही तंत्र से जुडी इकाइयों के बीच जो इकाइयां पिछले दिनो इस बलात्कार की घटना को आधार बनाकर इतना विरोध प्रदर्शन कर रही थी।

इस समस्या के समाधान की भी चर्चा करनी होगी। भारत मे बढ रहे बलात्कार और हिंसा सिर्फ प्रशासनिक समस्या तक सीमित नहीं है। एक सर्वमान्य सिद्धान्त है कि यदि समाज मे कुल आबादी के एक डेढ प्रतिशत से कम अपराध होते है तो वह प्रशासनिक समस्या होती है किन्तु यदि अपराध दो से भी उपर हो जावे तो नीतियों मे परिवर्तन की जरूरत बन जाती है। यदि अपराध तीन चार प्रतिशत से भी पार कर जावे तो वह सामाजिक चिन्ता का आधार बनती है और यदि अपराध पांच प्रतिशत से भी उपर हो जावे तो आपात्काल समझकर धर्म समाज राज्य सबको मिलबैठकर समाधान खोजने चाहिये। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत मे अपराध नियंत्रण की समस्या प्रशासनिक सीमा से पार कर रही है। नीतिगत बदलावो की जरूरत हैं। आवश्यक हो तो सामाजिक हस्तक्षेप भी करना चाहिये। यदि कोई समस्या तंत्र से जुडी इकाइयां नहीं सम्हाल पा रही है तो उसे सामाजिक बहस मे शामिल करना जरा भी गलत नही है।

सबसे पहला काम तो यह होना चाहिये कि आधुनिक महिलाएं ऐसे बलात्कार के मामलो के चिन्तन मे अपनी जोर जबर दस्ती मत करें। समाज के सभी स्त्री पुरूष वर्ग एक साथ बैठकर सोचें। दूसरा काम यह हो कि तंत्र से जुडी विभिन्न इकाइंया भी आत्म मंथन करें कि उनसे कहां भूल हो रही है। एक स्त्री अपने पति के ग्यारह टुकडे कर के फेंक दे तो वे महिलाएं जरा भी चिन्तित न हों जो किसी अपराधी पुरूष द्वारा जघन्य बलात्कार के लिये पुरूष समाज को ही कटघरे मे खडा करते रहती है। न्यायपालिका हमारी एक जिम्मेदार इकाई होते हुए भी तंत्र का ही एक भाग है । उसकी भूमिका सिर्फ पुलिस या सरकार को फटकार लगाने तक सीमित नहीं है। यदि कोई जग्गु पहलवान सैकडो अपराध करके भी खुला घूमता है या जमानत पर है तो प्रश्न सिर्फ पुलिस और सरकार तक ही सीमित नही रहेंगे। आपको भी उत्तर देना होगा कि मुकदमे मे इतनी देरी मे आप कितने गंभीर हैं। गंभीर आपराधिक प्रकरणों को लम्बे समय तक लटकाकर आप दिल्ली की मेट्रो सेवा संचालन या मकानो की उंचाई निचाई निपटाने मे अपना समय खर्च कर दे तो समज आपसे भी पूछ सकता है। यदि अपराध नियंत्रण मे है तो पुलिस तक उत्तरदायी है किन्तु यदि बढते है तो सरकार तक आंच आती है। यदि तेज गति से बढते है तो सम्पूर्ण संसद को उत्तर देना होगा और यदि अनियंत्रित है तो सम्पूर्ण व्यवस्था उत्तरदायी होती है जिसमे न्यायपालिका भी शामिल है। यदि ऐसा महसूस होता है कि बलात्कार की घटनाएं अनियंत्रित है तो सब लोग एक दूसरे पर दोषारोपण करने का खेल बन्द करे और मिल बैंठकर इसका समाधान खोजे अन्यथा इस प्रकार एक दूसर पर दोषारोपण लोकतंत्र की जडों को ही खोखला कर देगा।

पिछले कई दिनो से जो आंदोलन चल रहा है उसने अपनी दिशा बदली है। अब यह आंदोलन राजनैतिक दिशा मे चला गया है और अब तो धीरे धीरे वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था के विरोध की दिशा मे भी बढ रहा है। बलात्कार की घटना तो एक बहाना मात्र थी । आगे क्या होगा यह समय बतायेगा किन्तु यदि बलात्कार की इस घटना को आधार बनाकर भी कुछ आवाज उठती है तो परिणाम अच्छा ही होगा।

लूट का माल और सरकारी कर्मचारी

कोई भी शासक अपने कर्मचारियों के माध्यम से ही जनता को गुलाम बनाकर रख पाता है। लोकतंत्र मे तो यह और भी ज्यादा आवश्यक है। इसके लिये यह आवश्यक है कि वह अपने कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा संतुष्ट रखे। भारत में स्वतंत्रता पूर्व के शासक समाज को गुलाम बनाकर रखने के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारियों को अधिक से अधिक सुविधाएँ देने की नीति पर काम करते रहे। स्वतंत्रता के बाद भी शासन की नीयत में कोई बदलाव नहीं आया। इसलिये उनकी मजबूरी थी कि वे अपने कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएँ भी दें और संतुष्ट भी रखें।

प्रारंभिक वर्षों में सरकारी कर्मचारियों में असंतोष नहीं के बराबर था किन्तु जब उन्होंने देखा कि भारत का राजनेता सरकारी धन सम्पत्ति को दोनों हाथों से लूटने और लुटाने में लगा है तो धीरे धीरे इनके मन में भी लूट के माल में बंटवारे की इच्छा बढ़ी। सरकार के संचालन में राजनैतिक नेताओं के पास निर्णायक शक्ति होने के बाद भी उन्हें हर मामले में कर्मचारियों की सहायता की आवश्यकता होती थी क्योंकि संवैधानिक ढांचे के चेक और बैलेन्स सिस्टम में कर्मचारी भी एक पक्ष होता है। अतः व्यक्तिगत रूप से कर्मचारी लोग नेताओं के भ्रष्टाचार के हिस्सेदार होत चले गये। किन्तु यदि हम भ्रष्टाचार की चर्चा न भी करें तो शासकीय कर्मचारी अपने पास अधिकार होते हुए भी एक पक्ष को इस तरह अकेले अकेले खाते नहों देख सकता था। अतः उसने धीरे धीरे दबाव बनाना शुरू किया। दूसरी ओर सरकार ने भी नये नये विभाग बनाकर इनकी संख्या बढ़ानी शुरू कर दी और ज्यों ज्यों सरकारी कर्मचारियों की संख्या आबादी के अनुपात से भी कई गुना ज्यादा बढ़ने लगी त्यों त्यों उनकी ब्लैकमेलिंग की क्षमता भी बढ़ती चली गई। इस तरह भारत में लोक और तंत्र के बीच एक अघोषित दूरी बढ़ती चली गई जिसमें सरकार समाज की स्वतंत्रता की लूट करती रही, नेता भ्रष्टाचार के माध्यम से लूट लूट कर अपना घर भरते रहे और शासकीय कर्मचारी ब्लैकमेल करके इस लूट के माल में अपना हिस्सा बढ़ाते रहे।

किसी सरकारी कर्मचारी को इस बात से कोई मतलब नहीं कि उसकी जरूरतें क्या हैं? न ही उसे इस बात स मतलब है कि भारत के आम नागरिक का जीवन स्तर क्या है। उसे इस बात से भी मतलब नहीं कि उसी के समकक्ष गैर सरकारी कर्मचारी के वेतन और सुविधाओं की तुलना में उसे प्राप्त वेतन और सुविधाएँ कितनी ज्यादा हैं। उसे तो मतलब है सिर्फ एक बात से कि लोकतांत्रिक भारत में जो धन और अधिकारों की लूट मची है

उस लूट में उसकी भी सहभागिता है। उस लूट के माल में हिस्सा मांगना उसका न्यायोचित कार्य है। यदि ठीक से सोचा जाये तो उसका तर्क गलत भी तो नहीं है। वह लोक का तो भाग है नहीं। है तो वह तंत्र का ही हिस्सा। फिर वह अपने हिस्स की मांग से पीछे क्यों रहे? कुछ प्रारंभिक वर्षों में शिक्षक और न्यायालयों से संबद्ध लोग ऐसा करना अनुचित मानते थे किन्तु अब तो वे भी धीरे धीरे उसी तंत्र के भाग बन गये हैं।

सरकारी कर्मचारी अपना वेतन भत्ता बढ़वाने के लिये कई तरह के मार्ग अपनाते हैं। उसमें मंहगाई का आकलन भी एक है। भारत में स्वतंत्रता के बाद के पैंसठ वर्षों में रोटी, कपड़ा, आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में औसत चालीस पैंतालीस गुने की वृद्धि ही हुई है लेकिन सरकारी आंकड़े बताते हैं कि स्वतंत्रता के बाद छिहत्तर गुनो मूल्य वृद्धि हो चुकी है। छिहत्तर गुनी वेतन वृद्धि तो इनकी जायज मांग मान ली जाती है। यदि भारत में आवश्यक वस्तुओं के औसत मूल्य पांच प्रतिशत बढ़ते हैं तो सरकारी आंकड़े उन्हें सात आठ दिखाते हैं क्योंकि आंकड़े बनाने में कुछ और भी अनावश्यक चीजें शामिल कर दी जाती हैं। इसके बाद भी कई तरह के दबाव बनाकर इनके वेतन और सुविधाओं में वृद्धि होती ही रही है। स्वतंत्रता के बाद आज तक समकक्ष परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारी का वेतन करीब दो सौ से ढाई सौ गुना तक बढ़ गया है। उपर से प्राप्त सुविधाओं को तो जोड़ना ही व्यर्थ है। समाज इस पर उंगली उठा नहीं सकता क्योंकि जब नेता ने अपना वेतन भत्ता इनसे भी ज्यादा बढ़ा लिया तथा नेता ने अपनी उपरी आय भी बढ़ा ली तो समाज बेचारा क्या करे? सरकार और नेता सरकारी कर्मचारियों की ब्लैकमेलिंग से बचने के लिये कभी निजीकरण का मार्ग निकालते हैं तो कभी संविदा नियुक्ति जैसा। तू डाल डाल मैं पात पात की तर्ज पर कर्मचारी भी किसी न किसी रूप में इन तरीकों की काट खोजते रहते हैं। और यदि शेष समय में कर्मचारी दब भी जावे तो चुनावी वर्ष में तो वह अपना सारा बकाया सूद ब्याज समेत वसूल कर ही लेता है। अभी कुछ प्रदेशों के चुनाव होने वाले हैं। कर्मचारी लंगोट कसकर चुनावों की प्रतीक्षा कर रहा है। चुनावों से एक वर्ष पूव ही उसकी सांकेतिक हड़ताल और अन्य कई प्रकार के नाटक शुरू हो जायेंगे। प्रारंभ में सरकार भी उन्हें दबाने का नाटक करेगी। कुछ लोगों का निलम्बन और कुछ की बर्खास्तगी भी होगी। समझौता वार्ता भी चलेगी और अन्त में कर्मचारियों की कुछ मांगे मान कर आंदोलन समाप्त हो जायेगा। हड़ताल अवधि में की गई सारी प्रशासनिक कार्यवाही वापस हो जायेगी क्योंकि सभी नेता जानते हैं कि कर्मचारी चुनावों में जिसे चाहें उसे जिता या हरा सकते हैं। यद्यपि कर्मचारियों की कुल संख्या मतदाताओं की तीन प्रतिशत के आस पास ही होती है किन्तु उनके परिवार और उनके एकजुट प्रयत्नों को मिलाकर यह अन्तर सात आठ प्रतिशत तक माना जाता है। आम तौर पर शायद ही कोई नेता हो जो इतना अधिक लोकप्रिय हो कि इतना बड़ा फर्क झेल सके अन्यथा दो तीन प्रतिशत का फर्क ही हार जीत के लिये निर्णायक हो सकता है। नेता को हर पांच वर्ष में जनता का समर्थन आवश्यक होता है जबकि सरकारी कर्मचारी को किसी प्रकार के जनसमर्थन की जरूरत नहीं। चुनावों के समय नेताओ के दो तीन गुट बनने आवश्यक हैं जबकि ऐसे मामलों में कर्मचारी एक जुट हो जाते हैं। फिर उपर से यह भी कि कर्मचारियों को सुविधा देने से नेता को न व्यक्तिगत हानि है न सरकारी क्योंकि अन्ततोगत्वा सारा प्रभाव तो जनता को झेलना है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेता स्वयं अपनी सब प्रकार की सुख सुविधाएँ बढ़ाता जाता है तो उसका नैतिक पक्ष भी मजबूत नहीं रहता। यही कारण है कि कर्मचारियों का पक्ष जनविरोधी, अनैतिक ब्लैकमेलिंग होते हुए भी नेता झुककर उनसे समझौता करने को मजबूर हो जाता है।

अधिकांश कर्मचारी नौकरी पाते समय ही भारी रकम देकर नौकरी पाते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जो बिना पैसे या सिफारिश के नौकरी पा जायें। स्वाभाविक है कि उनसे इमानदारी या चरित्र की उम्मीद नहीं की जा सकती। जो व्यक्ति घर के बर्तन या जमीन बेचकर एक नौकरी पाता है वह भ्रष्टाचार भी करेगा और ब्लैकमेलिंग भी करेगा। यदि नहीं करेगा तो परिवार से भी तिरस्कृत होगा और अन्य कर्मचारियों में भी मूर्ख ही माना जायेगा। ऐसी विकट परिस्थिति आज सम्पूर्ण भारत की है। चाहे केन्द्र सरकार के कर्मचारी हों या प्रदेश सरकार के। सबकी स्थिति एक समान है। चाहे हवाई जहाज के पायलट हो या बैंक कर्मचारी या कोई चपरासी। चाहे दस हजार रूपया मासिक वाला छोटा कर्मचारी हो या लाख दो लाख रूपया मासिक वाला सुविधा सम्पन्न कर्मचारी। सबकी मानसिकता एक समान है, सबकी एक जुटता एक समान है, सब स्वयं को तंत्र का हिस्सा मानते हैं। लोक को गुलाम बनाकर रखने में भी सब एक दूसरे के सहभागी हैं और लोक को नंगा करने में भी कभी किसी को कोई दया नहीं आती।

विचारणीय प्रश्न यह है कि इस स्थिति से निकलने का मार्ग क्या है? नेता चाहता है कि जनता सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ खड़ी हो। यह संभव नही क्योंकि जनता ने तो नेता को चुना है और नेता द्वारा बनाई गई व्यवस्था द्वारा सरकारी कर्मचारी नियुक्त होते हैं। कर्मचारियों की नियुक्ति में जनता का कोई रोल नहीं होता। जनता जब चाहे कर्मचारी के विरूद्ध कुछ नहीं कर सकती जब तक उसका काम नियम विरूद्ध न हो। दूसरी ओर नेता को जो शक्ति प्राप्त है वह जनता की अमानत है। जनता जब चाहे नेता को बिना कारण हटा सकती है। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों के विरूद्ध जन आक्रोश का कोई परिणाम संभव नहीं। उचित तो यही है कि इस विकट स्थिति से निकलने की शुरूआत नेता से ही करनी पड़ेगी। यदि कर्मचारी ब्लैकमेल करता है तो उसका सारा दोष नेता का है। नेता ही समाज के प्रति उत्तरदायी है। यही मानकर आगे की दिशा तय होनी चाहिये।

पत्रोत्तर

1 आचार्य पंकज, राष्ट्रीय अध्यक्ष, व्यवस्था परिवर्तन मंच, वाराणसी, उत्तरप्रदेश

सुझाव–ज्ञानतत्व अंक 257 पढ़कर लगा कि कुछ विषयों को छोड़कर किसी आंचलिक अखबार की कतरने पढ़ रहा हूँ। ज्ञानतत्व, जो सत्यता एवं निष्पक्षता का निर्भीक पाक्षिक के साथ–साथ विचारप्रधान है, अब विचार शून्यता की ओर बढ़ रहा है, समाचार प्रधानता की ओर अग्रसर है, टी. वी. चैनलों, अखबारी समाचारों की सूचना पट्टिका बन रहा है। लोक स्वराज्य तथा व्यवस्था परिवर्तन क्या? क्यों? कैसे? जिनकी समझ से परे हैं उन तथाकथित नामों को छापकर बार–बार सम्पादक जी अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। ''जैसी आपकी आदत है कि बड़ा–कड़ा लिख दिया'' है, चिन्तक पुरूष लौट जाईये अपनी विचार की दुनियां में, सम्प्रति अपने तेजस्वी दिमाग की उर्जा का ग्रहण करें, जिसके लिये आप जाने जाते हैं। इधर आप राजनीतिक होते जा रहे हैं। हमें विचार चाहिये, राजनैतिक दलों की नूरा–कुश्ती मत छापिये। उसके लिये बहुत लोग हैं। धृष्टता हुई हो तो क्षमा करेंगे।

उत्तर – आपने सुझाव दिया। लम्बे समय से कई मित्रों की राय थी कि ज्ञान तत्व सिर्फ नीरस गंभीर विचारों तक ही सीमित न रहकर कुछ तात्कालिक घटनाओं पर भी टिप्पणी करे। संभव है कि गंभीर और तात्कालिक विषयों का संतुलन बने। मैं आप जैसे गंभीर पाठकों को पीड़ा भी समझता हूँ किन्तु सामान्य पाठकों से भी तालमेल बनाना उचित समझकर ही यह नया स्तंभ शुरू किया गया है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि विषय सिफ घटनाओं तक सीमित न रहे बल्कि घटनाओं का गंभीर संदर्भ भी ध्यान में रखा जायेगा।

यदि बड़ी मात्रा में पाठकों ने अरूचि दिखाइ तो नया स्तंभ बन्द भी किया जा सकता है। वैसे अब तक आम तौर पर नये स्तंभ को स्वीकार ही किया गया है।

2. श्री ओम प्रकाश मंजुल, पीलीभीत , उत्तर प्रदेश

विचार– देश की राजनीति मे आजकल आरक्षण के मुद्दे से पैदा हुई गर्मी दिनो दिन बढ़ रही शीत लहर पर भारी पडती जा रही है। एक ओर आरक्षण के समर्थक नित सड़को पर उतर रहे हैं। दूसरी ओर इसके विरोध मे भी लोग भारी भयंकरता के साथ राजपंथो पर आ चुके हैं। आरक्षण के समर्थन मे मायावती स्वयं को संस्थापक नायिका के रूप मे स्थापित करने को आतुर है, तो दूसरी आर मुलायम सिंह अपने को आरक्षण विरोधी अभियान का सफल सूत्रधार सिद्व करने के लिए प्राण–पंण से आमादा हैं। हाल ही में संसद में इनके पिछलग्गुओं का अमर्यादित एवं वीभत्स रूप, जिसने सोनिया के सम्मान को भी नही छोड़ा, देश की जनता देख–पढ़ ही चुकी है। पर यदि गभीरता से विचार करें, तो आरक्षण के समर्थन और विरोध के मूल में न माया हैं और ना मुलायम ही। दोनो अपने स्वार्थ के मूल मे है, या यूं कहे कि दोनो का स्वार्थ उनके आचरण के मूल मे है। दोनो के स्वार्थ से जुड़ी मुख्य रूप से दो ही बातें हैं। एक–माया आर मुलायम मे गलाकाट राजनैतिक प्रतिद्वन्दिता और दूसरी अपने बंट रहे वोटो को बटोरने की चिंता। विगत बीस वर्षो से दोनो के बीच प्रतिशोध की यह चिन्गारी सत्ता परिवर्तित होते ही शोला बन जाती है। चुनाव मे जो जीत जाता है, वही पूरी शक्ति के साथ गिरे हुए पिच्छलगुओं को सताता हुआ उसे पूर्णतः नेस्तनाबूत करने मे जुट जाता है। आरक्षण के वर्तमान रणक्षेत्र मे दोनो ही प्रतिद्वन्दी किसी न किसी बहाने या चातुर्य– चौरत्य से दूसरे शक्तिशाली दलों को अपने पाले मे करके दूसरे को पटकनी लगाने के फिराक मे है। इसीलिए दोनो न अपने–अपने स्वार्थो के वशीभूत होकर अपने कपटों को कृपा के कपड़ो मे लपटते हुए काग्रेंस को एफ.डी.आई. मामले मे प्रकारान्तर से अग्रिम समर्थन दिया है। स.पा. और ब.स.पा. के स्थान पर मुलायाम और मायावती शब्द ही अधिक उपयुक्त लगते है, क्योंकि ये दोनो ही अपने दल के प्रजातांत्रिक अध्यक्ष न होकर छत्रप 'सुप्रीमो' है। दोनो सुप्रीमो के तमाशे पर गौर फरमाये–माया और मुलायम एक साथ खड़ा होना तो दूर, एक–दूजे का नाम लेना–सुनना तक पंसद नही करते। वहीं ये दोनो सोनिया,मनमोहन याने काग्रेंस को एफ.डी.आई. के मुद्दे पर एक मच पर खड़े होकर समर्थन दे बैठते है। मुलायाम इस आकांक्षा मे कि कांग्रेस से मिलकर आरक्षण के विरोध मे और माया इस आशा मे कि कांग्रेस से मिलकर आरक्षण के पक्ष मे सफलता प्राप्त कर लेंगें। इससे भी जोरदार तमाशा यह देखें कि ये दोनो दल इससे पूर्व जहॉ भा.ज.पा. को हर मामले मे 'साम्प्रदायिक कहने मे तनिक भी न लजाते हुए उसे 'त्याज्य और अस्पृश्य' का चीख–चीख कर करार देते रहे हैं। वे ही आरक्षण प्रकरण मे भा.ज.पा. को भले भाई साहब के रूप मे देखते हुए उससे सहायतार्थ आस लगाये रहे। भले ही देश ओर समाज इन्हें 'चोर–चोर मसौरे भाई' कहे। दूसरी ओर भा.ज.पा. का भाग्य तो खराब ही है इसकी मति भी खराब है। शायद इसमें बुद्विमान नेताओं की भरमार होने के कारण, यह लम्बे समय से तत्काल और उचित निर्णय न ले पाने के कारण ज्यादा कसाइयों मे हलाल नही होता को चरितार्थ करती आ रही है। इसी भा.ज.पा. ने डिम्पल के विरोध मे अपना कोई प्रत्याशी न उतारकर उन्हें निर्विरोध सांसद बनवा दिया था। कांग्रेस और स.पा. मे पिछले दसियों वर्षो से स्वरक्षा नीति के तहत आपसी कुटिल कुश्ती चली आ रही है। सो कांग्रेंस के द्वारा डिम्पल के विरूद्व प्रत्याशी न खड़ा किया जाना समझ मे भी आता है और क्षम्य भी है। पर भा.ज.पा. को ऐसा करने से क्या लाभ हुआ या स.पा. से उसे क्या मिलने वाला था, समझ मे नही आया। अब भा.ज.पा. ने आरक्षण को भी समर्थन देकर अच्छा निर्णय नही लिया है। दलित वर्ग भा.ज.पा. का कभी वोट बैंक नही रहा और सवर्ण उससे दूर हो गया। क्या भा.ज.पा. के विद्वान व वरिष्ठ नेता नही जानते कि प्रोन्नति मे आरक्षण के प्रावधान के कारण गुरू अपने दलित शिष्य का मातहात बनने को और उसे साहब कहने को मजबूर हो जाता है ? ऐसी स्थिति मे भा.ज.पा. ने आरक्षण को समर्थन देकर आत्महत्या की राह अपनाई है। कांग्रेंस इस खेल मे कहीं भी गच्चा खाती नजर नही आ रही है। बाबू जगजीवन राम के जमाने मे जो दलित वर्ग कांग्रेंस का एक मुख्य घटक हुआ करता था, उसका एक अंश भले ही अत्यल्प हो, अब भी कांग्रेस से संपर्क बनाये हुए हैं। फिर आरक्षण के संम्बन्ध मे कहने के लिए जो ब्रम्ह वाक्य किंवा ब्रम्हास्त्र कांग्रेस के पास है, वह किसी के पास नही यह कि आरक्षण को कानून बनाकर लागू कराने का काम कांग्रेस ने ही किया था।

आरक्षण के पक्ष और विपक्ष के सम्बन्ध मे यह भी विचारणीय है कि मुलायम मात्र प्रोन्नति मे आरक्षण का विरोध क्यों कर रहे है? उन्हें पढ़ाई से नियुक्ति तक दिए जाने वाले विविध प्रकारीय आरक्षण का विरोध करना चाहिए। साथ ही वे केवल अनुसूचित जाति एवं अनु.जनजाति के आरक्षण का ही विरोध क्यों कर रहे हैं? पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का विरोध क्यों नही कर रहे हैं। क्या इसका विरोध इसलिए नही करते कि इस वर्ग मे सर्वाधिक लाभ इनकी जाति को ही मिल रहा है। दूसरी ओर माया भी अनुसूचित जाति एवं अनु.जनजाति के आरक्षण की ही वकालत क्यों करती है? क्या समान्य जाति के लोग प्रदेश या देश के नागरिक नही है। जिस आरक्षण के कारण होनहार–सवर्ण युवक–युवतियां आत्महत्या कर चुके हैं और कर रहे हैं, क्या मायावती को यह दिखाई नहीं दे रहा है? एक प्रश्न आरक्षण का समर्थन करने वाली भा.ज.पा. से भी कि जब सैद्धांतिक रूप से वह आरक्षण को अच्छा मानती ही है, तब दबे कुचले मुसलमानों के आरक्षण का विरोध क्यों करती है? कांग्रेंस तो आरक्षण की अम्मां ही है, उससे कितने प्रश्न किए जायें? आरक्षण की नीति को समग्र और संतुलित तभी कहा जा सकता है, जब उसका एक मात्र आधार आर्थिक हो।

समीक्षा– आरक्षण के प्रश्न पर ए टू जेड चैनल ने एक बहस आयोजित की जिसके चार प्रतिभागियों मे मै भी एक था। दो प्रतिभागी पदोन्नति मे आरक्षण के समर्थक थे और एक विरोधी । मेरी भूमिका सबसे भिन्न थी। मेरा कथन था कि हजारो वर्ष पूर्व समाज के बुद्धिजीवी वर्ग ने श्रम का शोषण करने के उद्देश्य से एक कुटिल चाल चली ओर सभी सम्मान या लाभ के अवसर बुद्धिजीवियो के लिये ब्राम्हण क्षत्रिय वैश्य के रूप मे आरक्षित करके श्रमजीवियो के लिये अधिकतम सीमा रेखा बना दी जिससे वे कभी बाहर न निकल सके। बुद्धिजीवियो ने इस षडयंत्र को बढाते हुए उक्त आरक्षण के लाभ अपने आगे आने वाली पीढियो के लिये भी आरक्षित कर दिये। हजारो वर्ष के बाद भी उक्त आरक्षण का कोई पुनःमूल्यांकन असंभव घोषित कर दिया गया। श्रमजीवी शूद्र और अवर्ण कभी उक्त सीमा रेखा को लांघ नही सकते थे अनेक पीढियों के बाद भी ।

गांधी इन सीमाओं को तोडना चाहते थ और अम्बेडकर उसका लाभ उठाना चाहते थे। अम्बेडकर जी एक प्रमुख बुद्धिजीवी थे । अम्बेडकर जी भी श्रम शोषण मे उतने ही शामिल हो गये जितने अन्य सवर्ण बुद्धिजीवी। उन्होने सामाजिक आरक्षण का लाभ उठा रहे इन सवर्णो से लड झगडकर एक समझौता कर लिया कि यदि ये सवर्ण अपने लूट के माल मे से कुछ भाग उनके गुट के बुद्धिजीवियो को देने को तैयार हों तो अम्बेडकरवादी श्रमजीवियो को अपने हाल पर छोडकर बुद्धिजीवियो के साथ हिस्सेदार बन सकते है। सवर्ण बुद्धिजीवियो ने समझौता कर लिया। अम्बेडकर जी ने भी पुरान तरीके

से ही नये आरक्षण का लाभ दस प्रतिशत बुद्धिजीवी अवर्णो की आगे आने वाली पीढियो के लिये आरक्षित कर लिया और नब्बे प्रतिशत श्रमजीवी अवर्णो को अपने हाल पर जीने मरने को छोड दिया। वर्तमान पदोन्नति मे आरक्षण की लडाई लूट के माल मे बटवारें से ज्यादा कुछ नही । भारत का आधे से ज्यादा गरीब ग्रामीण श्रमजीवी छोटा किसान जिसमे नब्बे प्रतिशत अवर्ण श्रमजीवी वर्ग शामिल है, इस लडाई से या तो अनभिज्ञ है या अछूता है या मजे ले रहा है। सच्चाई यह है कि यह लडाई न अवर्णो की है न गरीबो की । यह लडाई तो श्रमजीवियो के विरूद्ध बुद्धिजीवियो के षडयंत्र का भाग है।

मेरे उक्त कथन का आरक्षण समर्थको ने तो खुला विरोध किया किन्तु आरक्षण विरोधी भी एकाएक संकट मे आ गये। उपस्थित श्रोताआ ने मुझसे कई गंभीर प्रश्न पूछे जिनपर प्रश्नोत्तर के बाद यह बहस समाप्त हुई।

खबरें दो सप्ताह की 16.12.2012 से 31.12.2012

इस सप्ताह एक महत्वपूर्ण घटना क्रम में गुजरात के मुख्य मंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात का चुनाव सफलता पूर्वक जीत लिया तथा भारतीय जनता पार्टी हार गई। जिस दिन गड़करी जी की पोल खुली उसके बाद पूरे देश में भाजपा के पैर ही उखड़ गये। सर्वविदित है कि कांग्रेस पार्टी राजनीति में भ्रष्टाचार की खान है किन्तु वह स्वयं को इमानदार घोषित भी तो नहीं करती। कांग्रेस ने कभी कोई चुनाव चरित्र के आधार पर नहीं लड़ा। उसने हमेशा ही नीतियों तथा कार्यक्रमों को सामने रखकर चुनाव लड़ा। भाजपा के पास न कोई नीति है न कार्यक्रम। उसने हमेशा चरित्र को आगे करके चुनाव लड़ा। वहां भी कभी भाजपा का चरित्र आगे नहीं रहा। संघ का चरित्र हमेशा कसौटी पर रहा। पहली बार संघ चरित्र के साथ समझौता करने को मजबूर दिखा है। हिमाचल के परिणाम तो दिख ही गये। यदि गुजरात में भी नरेन्द्र मोदी भाजपा को किनारे करके चुनाव लड़ते तो वर्तमान की अपेक्षा कुछ ज्यादा सीटें मिलती। भाजपा के कारण सीटों का नुकसान ही हुआ है, लाभ नहीं।

आज गुजरात सहित पूरे देश में नरेन्द्र मोदी की जो छवि बनी है उसमें सर्वाधिक विवाद रहित छवि यह है कि उन्होंने सारे संवैधानिक कानूनी संकटों का मुकाबला करते हुए अल्पसंख्यक साम्प्रदायिकता से गुजरात को मुक्त किया। पूरे भारत का हिन्दू समाज मुस्लिम साम्प्रदायिकता के विस्तार से आहत है। हिन्दू समाज के सामने अल्पसंख्यक संख्या विस्तार की छीना झपटी में लगा हुआ है। हिन्दू समाज अपने पुराने संस्कारों के कारण ऐसी छीना झपटी में शामिल नहीं हो सकता किन्तु उसका स्वाभिमान आहत तो होता है। वह संघ परिवार के कहने के बाद भी इस छीना झपटी में शामिल तो नहीं होता किन्तु यदि कोई इकाई ऐसी छीना झपटी में बाधक हो तो उसे राहत मिलती है। अल्पसंख्यकों और खासकर गुजरात के मुसलमानों का यह घमण्ड टूटा कि भारतीय संविधान ने उन्हें कुछ विशेष सुविधाएँ दे रखी हैं। मोदी ने प्रमाणित किया कि संविधान से भी न्याय उपर होता है। भारत के मुसलमानों का यह घमण्ड कि उनकी एकजुटता राजनैतिक लाभ के लिये पर्याप्त है, गुजरात में टूट गया। पिछले दस वर्षों में एक भी दंगा न होना यह सिद्ध करता है कि हिन्दुओं का आत्म संतोष और मुसलमानों की संख्या बल विस्तार की तिकड़म पर रोक पूरे देश के साम्प्रदायिक टकराव को रोकने का एक अच्छा समाधान हो सकता है। पूरे भारत के मुसलमान जितना ही मोदी के इस पक्ष की आलोचना करते हैं उतना ही पूरे भारत में मोदी की मांग बढ़ती जाती है। यदि गुजरात में दो तीन और तीस्ता सीतलवाड हो जातीं तो मोदी की राह और ज्यादा आसान हो गई होती।

साम्प्रदायिकता से सफलता पूर्वक निपटने के बाद मोदी ने अपराध नियंत्रण की ओर रूख किया। गुजरात में मोदी के कार्यकाल में कई नामी अपराधी फर्जी मुठभेड़ में मारे गये। भारत की न्यायपालिका न्याय की अपेक्षा कानूनों पर ज्यादा महत्व देती है। मोदी जी ने कानून की अपेक्षा न्याय को ज्यादा महत्व दिया। उन्होंने ऐसा इशारा किया या मात्र आंखें बन्द कीं यह तो स्पष्ट नहीं है किन्तु कुछ प्रमुख अपराधियों को गुजरात की कार्यपालिका ने बिना न्यायपालिका की मदद के ही निपटा दिया। यह कार्य उचित था या नहीं यह अलग विषय है और उसका निर्णय न्यायपालिका कर रही है, किन्तु गुजरात की जनता को बहुत राहत मिली और इस राहत में मुसलमान भी शामिल थे जो मोदी के पहले चरण के अभियान से दुखी थे। संघ परिवार चाहता था कि मोदी अपने पहले साम्प्रदायिक एजेन्डे पर ही चलते रहें किन्तु मोदी ने इन्कार कर दिया। जब गुजरात का मुसलमान संख्या बल विस्तार से अलग शान्ति से रहना चाहता है तो उनसे अनावश्यक छेड़छाड़ की संघ प्रवृत्ति मोदी को पसन्द नहीं। अशोक सिंहल, प्रवीण तोगड़िया जैसे कट्टर लोगों की भी मोदी ने कभी परवाह नहीं की।

साम्प्रदायिक मुसलमानों और नामी अपराधियों से निपटने के बाद मोदी ने प्रशासनिक सुधार की राह पकड़ी और इसमें भी वे सफल रहे। आज मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। यदि शेष भारत का मुसलमान ज्यादा जोर शोर से मोदी के विरूद्ध खड़ा हो जावे और कांग्रेस पार्टी ज्यादा जोर शोर से ऐसे मुसलमानों के पक्ष में खड़ी हो जावे तो मोदी के प्रधानमंत्री बनने का मार्ग आसान हो सकता है। मोदी जी को चाहिये कि वे अब तक जिस यथार्थ वाद की नीति पर चलते रहे उससे पीछे न हटें।

इस सप्ताह संसद में आरक्षण मुद्दे पर भी खूब तमाशा हुआ। स्वतंत्रता के बाद पहली बार मुलायम सिंह जी ने आरक्षण की वर्तमान नीति को चुनौती दी। राज्य सभा में मुलायम अकेले पड़े किन्तु उन्होंने हार नहीं मानी। मुलायम सिंह आरक्षण विरोध में ही अपना राजनैतिक भविष्य देख रहे थे। स्वतंत्रता के समय सवर्णों ने अपनी भूल सुधारने के लिये कर्तव्य समझ कर आरक्षण का समर्थन किया था उस आरक्षण को उन लोगों ने अपना अधिकार मान लिया। सम्पूर्ण भारत में आरक्षण का दुरूपयोग हो रहा है। स्वतंत्रता के पूर्व जिन हरिजन आदिवासियों को जातिवाद के दुष्प्रभाव झलने पड़े उनमें से अधिकांश आज भी उसी तरह हैं। यदि गाय को मिलने वाली रोटी पशु होने के नाम पर कुत्ता खाता रहेगा तो हजार वर्ष बीतने के बाद भी गाय तो भूखी ही रहेगी। मुलायम सिंह जी ने ठीक समय पर ठीक कदम उठाया। भारतीय जनता पार्टी लम्बे समय से नीतियों के आधार पर आरक्षण के विरूद्ध रही है किन्तु रणनीति के अन्तर्गत चूक गई और पहल मुलायम सिंह जी ने ले ली। राज्यसभा के मतदान के एक दिन बाद ही भाजपा को होश आया और उसने कुछ नया सोचना शुरू किया। वैसे तो कांग्रेस के भी बहुत लोग आरक्षण के खिलाफ हैं किन्तु कांग्रेस में तो एक परिवार को गुलामी है। उन्हें तो वही कहना होगा जा सोनिया जी कहेंगी। सोनिया ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने बेटे को कांग्रेस पर थोप दिया। कौन बोलेगा? इसलिये आरक्षण मुद्दे पर भी कोई स्वतंत्र राय आ नहीं सकती। किन्तु कम से कम भाजपा में तो वैसी हालत नहीं। आगे चाहे यह बिल पास हो या फेल किन्तु मुलायम सिंह ने यह कदम उठाकर बहादुरी का काम किया है।

इस सप्ताह एक और घटना क्रम में जी न्यूज के मालिकों से पूछताछ और उसके दो सम्पादकों की गिरफ्तारी एवं जमानत का मुद्दा छाया रहा। प्रसिद्ध उद्योगपति नवीन जिन्दल के एक बड़े घपले की जानकारी जी न्यूज के सम्पादकों को थी। जी न्यूज के सम्पादकों से नवीन जिन्दल ने समाचार रोकने का कोई सौदा किया जो सम्भवतः पच्चीस करोड़ का था। सम्पादकों और जिन्दल के बीच यह राशि बढ़ाने की चर्चा हुई। यह पहल जी

न्यूज ने की या जिन्दल ने उन्हें प्रेरित किया यह स्पष्ट नहीं है किन्तु यह सौदा बढ़ते बढ़ाते सौ करोड़ तक चला गया। पूरी बातचीत को जिन्दल ने गुप्त रूप से रेकार्ड कर लिया जिस आधार पर जी न्यूज के दोनों सम्पादकों की गिरफ्तारी और जमानत हुई तथा जी न्यूज के मालिकों से भी प्छताछ शुरू हुई जो अब तक जारी है।

स्पष्ट दिखता है कि जिन्दल कम्पनी के किसी बहुत बड़े घपले को छिपाने के लिये मीडिया कर्मी जी न्यूज न सौ करोड़ का ब्लैकमेल किया। यह ब्लैकमेल किस सीमा तक गैर कानूनी कार्य है यह तो न्यायालय तय करेगा किन्तु यदि यह पूरी घटना सच है तो वह किस सीमा तक अनैतिक या अपराध है यह विचारणीय है। स्पष्ट है कि हर अपराध तो गैर कानूनी भी होता है और अनैतिक भी किन्तु हर अनैतिक या गैर कानूनी अपराध नहीं होता। मेरी जानकारी के अनुसार तो सिर्फ चार पांच प्रतिशत ही गैरकानूनी कार्य अपराध होते हैं और अनैतिक होना तो बिल्कुल ही भिन्न बात है।

किसी मीडिया कर्मी ने किसी भी व्यक्ति को इस तरह ब्लैकमेल किया कि यदि उसने बात नहीं मानी तो वह झूठ बोलकर फंसा देगा तो ऐसा ब्लैकमेल निश्चित रूप से अपराध भी है और गैर कानूनी भी और अनैतिक भी। किन्तु यदि कोई व्यक्ति चुप रहने के लिये कोई सौदेबाजो करता है तो वह तब तक अपराध नही जब तक वह व्यक्ति उस काम के लिये नियुक्त न हो। यदि कोई पुलिस वाला अपराधी को छोडने के बदले पैसा ले या जज अपराधी को छोड़ने के नाम पर ब्लैकमेल करे तो यह कार्य अपराध होगा क्योंकि वह व्यक्ति उस कार्य के लिये नियुक्त था। किन्तु यदि कोई सामान्य व्यक्ति कोई अपराध होता हुआ देख ले और वह हल्ला न करने के निमित्त कोई सोदा कर ले तो यह कार्य सिर्फ अनैतिक और गैर कानूनी तक ही सीमित होगा न कि अपराध। मीडिया कर्मी इस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिये नियुक्त नहीं थे। उन्हें अपराध की जानकारी मात्र थी जिस उजागर न करने के नाम पर उन्होंने जिन्दल कम्पनी से सौदेबाजी की तो इसमें अपराध क्या है? यदि आप अपराध, गैर कानूनी और अनैतिक का अन्तर नहीं समझते तो किसी विवेचना के पूर्व आपको यह अन्तर समझना चाहिये।

मीडिया कोई सामाजिक संस्था न होकर एक व्यवसाय है। ऐसी स्थिति में किसी व्यवसायी से अति उच्च सामाजिक दायित्व की कल्पना करना ठीक नहीं। वैसे भी मीडिया यदि पूरी तरह इमानदार रहे तो उसका सारा व्यवसाय ही बिक जायेगा। इतने सस्ते में अखबार देने वाला यदि विज्ञापन के लिये दबाव डालता है तो गलत क्या है? यदि विज्ञापन के न मिलने से वह कोई गलत समाचार प्रसारित करे तो वह कार्य अनैतिक गैरकानूनी के साथ साथ अपराध भी होगा किन्तु विज्ञापन के बदले चुप हो जाना कोई अपराध नहीं। वैसे भी अब मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बन गया है। लोकतंत्र के तीन स्तंभ न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका का वर्तमान में जैसा नैतिक स्तर है उसका प्रभाव यदि चौथे स्तंभ पर भी दिखे तो गलत क्या हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोकतंत्र के तीन स्तंभ आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे रहें और चौथा स्तंभ बिल्कुल पाक साफ बना रहे। ऐसा संभव ही नहीं है। अतः जो लोग जी न्यूज जिन्दल की घटना से विचलित हैं उन्हें फिर से स्थिति की समीक्षा करनी चाहिये।

घटनाएं इस वर्ष की 31/12/2012

इस सप्ताह वर्ष दो हजार बारह विदा हो गया। इस वर्ष अनेक राजनतिक सामाजिक आर्थिक उतार चढाव दिखे। इस पूरे वर्ष के बारहा महिनो मे सर्वाधिक आलोचना के केन्द्र बने रहे भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। एक तरफ मनमोहन सिंह पूरे वर्ष भर सोनिया जी सहित सभी राजनैतिक दलो की आंख की किरकिरी बने रहे तो दूसरी ओर भारत का आम नागरिक इस संबंध मे बिल्कुल खामोश रहा। सारी तिकडम करने के बाद भी सोनिया जी मनमोहन सिंह को असफल सिद्ध नही कर सकी। यहां तक कि कभी कभी तो राहुल प्रेम मे सोनिया जी कांग्रेस की दुर्गति देखकर भी सतर्क हो जाया करती थी । अन्त मे हार थक कर उन्होने दो हजार चौदह तक की प्रतीक्षा करनी ही ठीक समझी।

यह वर्ष बाबा रामदेव के लिये भी महत्वपूर्ण रहा। एक कहावत है कि कोई अयोग्य व्यक्ति अकस्मात आवश्यकता से अधिक अप्रत्याशित सम्मान पा जावे तो वह अपने पतन का मार्ग भी स्वयं ही तैयार करता है। यह वर्ष उनके साथ भी वैसा ही रहा। पिछले चार पांच वर्षो न उन्हे योग्यता और आवश्यकता से कई गुना ज्यादा धन और सम्मान का पात्र बना दिया था। उनकी आंखे चाधिया रही थी। उन्होने इसी दौड मे प्रधानमंत्री बनने का भी सपना पाल लिया । परिणाम उनके सामने है। ऐसा लगता है कि छ**ब्बे** बनने के प्रयास मे बाबा रामदेव दुबे तो बन ही गये है और आगे दो हजार तेहर मे क्या होगा यह समय बतायेगा।

यह वर्ष अन्ना हजारे के लिये भी विशेष उल्लेखनीय रहा। अन्ना अरविन्द की जाडी ने भारत के आम नागरिको के मन मे उम्मीदों की एक किरण जगाइ थी, किन्तु अरविन्द की जल्दबाजी ने इस अभियान को अकाल मौत दे दी। अब दोनो ही नये सिरे से अलग अलग प्रयत्नशील है। अन्ना जी इस आंदोलन को सामाजिक स्वरूप तक सीमित रखना चाहते थे, जिसे अरविन्द जी राजनैतिक रूप तक विस्तार देना चाहते थ। अब तक यह स्पष्ट नही है कि किसका मार्ग गलत था और किसका ठीक । शायद दो हजार तेरह इस निर्णय मे कुछ सहायक हो। फिर भी इन दोनो के अलग अलग मार्ग होते हुए भी उम्मीद की एक किरण अब भी बनी हुई है। भारत की आम जनता के मन म अन्ना हजारे जी के प्रति श्रद्धा और अरविन्द जी के प्रति विश्वास बना हुआ है।

वर्ष दो हजार बारह भारतीय जनता पार्टी के लिये बहुत कष्ट प्रद रहा। पूरे वर्ष भर उनकी राजनीति पूरी तरह नकारात्मक ही रही। अन्ना हजारे के आंदोलन क समय भी भाजपा सिर्फ तिकडम ही करती रही और लोकपाल बिल पर राज्य सभा मे उसने जो तिकडम की उसके कारण तो उसकी छवि बहुत ही नकारात्मक बन गई । गडकरी जी पर भ्रष्टाचार के आरोपो ने उसकी हालत और खराब कर दी। दो हजार चौदह के चुनावो मे तो भाजपा की भूमिका सशक्त विपक्ष से भी नीचे खिसकने के आसार है।

इस वर्ष एक महत्वपूर्ण घटना क्रम मे कांग्रेस पार्टी बाजी मारती हुई दिखी। देश की अर्थ व्यवस्था लगातार नीचे खिसक रही थी। डालर के मुकाबले रूपया कमजोर हो रहा था। आर्थिक उन्नति का ग्राफ गिरते गिरते साढे पांच तक खिसक गया था। कांग्रेस पार्टी चुनावो से डरी हुई थी। विपक्ष उसे बार बार चुनावो के लिये ललकार रहा था। कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर थी। एकाएक गृहमंत्री चिदम्बरम् को वित्मंत्री बनाकर आम चुनावा का खतरा उठाया गया। एफ.डी.आइ. कैश सब्सीडी, डीजल मूल्य वृद्धि तथा गैस सिलेन्डर जैसे आर्थिक सुधार के कदम उठाकर कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष को आम चुनावो की चुनौती दे दी। विपक्ष कांग्रेस के ऐसे पलटवार के लिये तैयार नहीं था। विपक्ष किंकर्तब्य विमूढ हो गया और चिदम्बरम योजना कांग्रेस पार्टी को प्राणवायु देने मे सफल हो गई। विपक्ष और खास कर भाजपा को आज तक समझ मे नही आया कि उससे चूक कहां हुई जो उसका बालू का महल इस तरह भर भराकर गिर गया। भाजपा तो मलवा समेटने मे ही व्यस्त है। भाजपा का खेवन हार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी हतप्रभ है। उपर से उसके अध्यक्ष गडकरी जी की छीछालेदर संघ को परेशान किये हुए है। आज देश की राजनतिक स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी आर्थिक सुधारो को चुनावी

मुद्दा बनाकर आम चुनावो के लिये ललकार रही है और भाजपा चुनावो के डर से थर थर कांप रही है क्योकि आर्थिक मुद्दे पर तो भाजपा कभी खडी ही नहीं रही किन्तु चरित्र के मुद्दे पर भी उसके अध्यक्ष पर लगा दाग उसे परेशान कर रहा है। भाजपा का गिरता ग्राफ उसे नई सोच के लिये मजबूर कर रहा है।

इस वर्ष के अन्तिम दिनो मे मुलायम सिंह जी ने नई चाल चलकर सबको सकते मे डाल दिया। आरक्षण के नाम पर पिछले साठ पसठ वर्षो से कुछ लोग लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे। अन्य लोग न चाहते हुए भी ब्लैकमेल होने को मजबूर थे। एकाएक मुलायम सिंह जी ने आरक्षण रूपी बिल्ली के गले मे घंटी बांधने की घोषणा कर दी। मायावती को तो मुलायम सिंह की घोषणा मे अपना लाभ दिखा किन्तु भाजपा तो संकट मे आ गई । भाजपा फिर मात खा गई। राज्य सभा के मतदान मे तो वह कुछ सोच ही नही सकी किन्तु लोक सभा तक बिल पहुंचते पहुंचते उसे कुछ कुछ होश आना शुरू हुआ और उसने अप्रत्यक्ष रूप से बिल लटका दिया किन्तु इतना स्पष्ट हुआ कि आरक्षण के मुद्दे का पूरा पूरा लाभ समाजवादी पार्टी झटक ले गई । आखिर उसी ने तो हिम्मत भी दिखाई अन्यथा साठ पस**ठ** वर्षो से तो सब लोग आरक्षण के पीछे दुम हिलाते ही घूम रहे थे।

इस वर्ष का अन्त एक ऐसी घटना से हुआ जो अब तक किसी ठीक दिशा मे नहीं बढ सकी । एक लडकी चलती बस मे सामूहिक बलात्कार का शिकार बनती है। वह मुकाबला करती है और अमानवीय यातनाएं झेलकर भी अपराधियों के समक्ष आत्म समर्पण नही करती । एक सप्ताह तक अस्पताल मे जीवन की लडाई लडते लडते वह हार जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अनेक स्वार्थी तत्व उस बहादुर लडकी की मौत की घटना मे अपना भविष्य खोजना शुरू करते है। पहले तो देश भर की आधुनिक महिलाओं ने अपना भविष्य टटोला। तरह तरह के नाटक किये गये। एक अपराधी गिरोह द्वारा एक महिला पर किये गये आपराधिक आक्रमण को पुरूषो और महिलाओ के बीच टकराव के रूप मे प्रस्तुत किया गया। कुछ दिन बाद देश भर के आधुनिक युवको ने घटना मे अपनी संभावनाएं टटोलनी शुरू कर दी। सबको लगा कि किसी तरह इस घटना को ट्यूनोशिया और मिश्र के राजनैतिक परिवर्तन के साथ जोड दे। वे यह भूल गये कि मिश्र और ट्यूनीशिया मे तानाशाही थी और भारत मे लोकतंत्र। दूसरी बात यह भी कि अभी अभी कुछ दिन पूर्व हो भारत की जनता अन्ना जी के नेतृत्व मे ऐसा ही असफल प्रयास कर चुकी है। उस आंदोलन का लक्ष्य भी पवित्र था और दिशा भी। इस युवा प्रदर्शन का न लक्ष्य पवित्र है न दिशा। आनन फानन मे घटना का लाभ उठाने युवा पीढी मैदान मे कूद पडी। राजनीतिज्ञ भी कोई कम घाघ नहीं होते। राजनेताओ ने मामले को ठंडा होते तक चुप रहना ही ठीक समझा। कुछ दिखावटी आंसू बहाकर नेता लोग किसी नई आक्रोश पूर्ण घटना की प्रतीक्षा करेंगे, और फिर सब नये आक्रोश से अपनी रोटी सेकने मे लग जायगें। सम्पूर्ण भारत मे आज कोई यह स्पष्ट बालने वाला नही कि यह सम्पूर्ण घटना न महिला पुरूष के बीच की है न युवाओ पर अत्याचार। यह सम्पूर्ण घटना शरीफों पर अपराधियों का अत्याचार मात्र है जिसमें किसी भी पक्ष मे महिला पुरूष भी हो सकते ह और युवा गैर युवा भी। यदि हम आंदोलन की विस्तृत समीक्षा करे तो घटना से लाभ उठाने की पहल वामपंथियों ने की । उनके सभी दस्ते यह सोचकर सडका पर निकल पडे कि महिला पुरूष के बीच टकराव विस्तार का यह अच्छा अवसर है। वे कुछ सीमा तक सफल भी रहे। बाद मे उन्होने इसे युवा वर्ग के संघर्ष की दिशा मे मोड दिया। इसी बीच दक्षिण पंथी ताकत सक्रिय हुई और उन्होने इसे भारतीय संस्कृति की ओर मोडा। टी वी चैनल या अश्लील गाने जैसे मुद्दे उछाले गये । अब तक खीचतान जारी है। इतना अवश्य होगा कि इन आंदोलनो को बहाना बनाकर सरकार समाज की स्वतंत्रता को कम करने की दिशा मे एक दो कदम और बढ जायगी। नये नये कानून बनेंगे जिनका अपराधी तत्व शराफत को ब्लैक मेल करने मे उपयोग करेंगे। अभी तो घटना से लाभ उठाने वालो के प्रयत्न जारी ही है कि वर्ष पूरा होकर दो हजार तेरह मे प्रवेश कर गया।

इस तरह वर्ष बारह की अनेक घटनाओं मे स कुछ चर्चित घटनाओ की समीक्षा यहाँ समाप्त की जाती है।

अपनो से अपनी बात

सितम्बर का कार्यक्रम समाप्त हुआ। दो तीन माह तक नयी योजनाएं बनी। नई टीम बनी । नई टीम ने कार्य भार सम्हाल लिया।

हम प्रारंभ से ही अन्ना आंदोलन की सफलता के प्रति आश्वस्त नहो थे। भ्रष्टाचार आंदोलन का गलत मुद्दा है यह हमारी शुरू से ही सोच रही है और मैने समय समय पर टीम अन्ना अरविन्द का अपनी बात बताई भी किन्तु मेरे पास कोई अलग टीम नही होने से हम सबने उक्त आंदोलन का साथ दिया। जैसी संभावना दिख रही थी वैसा ही हुआ। आंदोलन बिखर गया । यदि आंदोलन का पांरभ लोक संसद की मांग से शुरू होकर धीरे धीरे संविधान संशोधन की दिशा मे बढता तो अच्छा होता। अब पुरानी बाता की पुनरावृत्ति की अपेक्षा आगे की चर्चा करनी चाहिये।

हम जल्दवाजी मे कोई कदम नही उठाना चाहते न ही सदा के लिये विचार मंथन की सीमा मे कैद रह सकते है । अब भी अन्ना जी तथा अरविन्द जी ने अलग अलग प्रयास जारी रखे है। हम उनका सहयोग भी करेंगे और दो हजार चौदह तक प्रतीक्षा भी। सितम्बर के कार्यक्रम मे यही योजना बनी कि हम पृथक से अपना अस्तित्व खडा करते हुए अन्ना जी तथा अरविन्द जो के आंदोलन का सहयोग और प्रतोक्षा करें। किन्तु हम सदा के लिये प्रतीक्षा तो नहीं कर सकते । वैसे तो पूरे विश्व की ही व्यवस्था मे बदलाव की जरूरत है किन्तु हम उतनी बडी चिन्ता न करके शुरूआत भारत से ही करने की सोचे। यह बात लगभग तय हो चुकी है कि व्यवस्था परिवर्तन की नीयत के मामले मे आंदोलन अन्ना हजारे पूरी तरह और टीम अरविन्द आंशिक रूप से विश्वसनीय है । अन्य कोई टीम दिखती नही। नीतियों के मामले मे ये दोनो अस्पष्ट है कि ये वर्तमान व्यवस्था मे सुधार चाहते है या व्यवस्था परिवर्तन । दोनो काम एक साथ होने नही है। इस समूह के अतिरिक्त कोई अन्य ऐसा समूह नहीं जिसे रत्ती भर भी समाज शास्त्र का ज्ञान या अनुभव हो। स्पष्ट है कि इस मामले मे हमारी टीम को ही पहल करनी होगी। अन्य तो कोई मार्ग दिखता नही जिसे सहारा देकर इस सघर्ष को आगे बढाया जा सके। इस आधार पर बहुत सम्हल सम्हल कर आगे बढने की योजना बन रही है। दो हजार उन्नीस तक इस योजना पर बढने के बाद पुनः समीक्षा करेंगे कि आगे क्या करें। तब तक इस योजना पर काम चलता रहेगा।

अपने पूरे आंदोलन का नाम व्यवस्था परिवर्तन अभियान है। इसके चार भाग है। (1) ज्ञान क्रान्ति अभियान (2) लोक स्वराज्य मंच (3) ग्राम सभा सशक्तिकरण अभियान (4) ज्ञान केन्द्र स्थापना । चारो भाग बिल्कुल अलग अलग तथा स्वतंत्र होगे। मेरी भूमिका चारो मे संरक्षक तक सीमित होगी। ज्ञान क्रान्ति अभियान समाज मे स्वतंत्र विचार मंथन का कार्य करेगा। पाक्षिक ज्ञान तत्व, काश इंडिया डाट काम, ए टू जेड, टी वी चैनल मे विचार मंथन इसम सहायक होगे। । ए टू जेड चैनल मे प्रत्येक शनिवार की शाम आठ बजे ऐसा देश हो मेरा शीर्षक से आधे घंटे का एक निश्चित विषय केन्द्रित तर्क वितर्क प्रसारित होता है जो दूसरे दिन रविवार को शाम चार बजकर पचीस मिनट पर पुनः प्रसारित होता है । इसके साथ साथ ए टू जेड चैनल पर प्रत्येक माह के पहले रविवार की रात आठ बजे एक घंटे का समाधान कार्यक्रम होता है जिसमे मेरे साथ कई विद्वान बैठकर अलग

अलग विषयो पर विचार मंथन करते है। यह समाधान कार्यक्रम हर माह तीसरे रविवार की रात आठ बजे पुनः प्रसारित होता है। वर्तमान मे इस अभियान का कार्यालयीन प्रभार पुष्पेन्द्र रावत जी के पास है।

दूसरा भाग लोक स्वराज्य मंच है । यह एक राजनैतिक संगठन होगा जो अभी अपंजीकृत रहकर ही काम करेगा। इस संगठन के दो काम होंगे। (1) भारतीय संविधान के संशोधित प्रारूप जो पन्द्रह वर्ष पूर्व ही प्रकाशित प्रसारित हो चुका है, पर जनमत जागरण। (2) लोक संसद मुद्दे पर आंदोलन खडा करने का प्रयास। हमारा मानना है कि लोक संसद की मांग एकमात्र ऐसी मांग है जो वर्तमान संसदीय लोकतंत्र को लोक स्वराज्य की दिशा मे ले जाने के लिये टकराव की पहल कर सकती है। अन्य कोई भी मुद्दा है ही नही। लोक स्वराज्य मंच को स्वतंत्रता होगी कि वह लोक संसद मुद्दे को आगे लाने के निमित्त अन्य राजनैतिक दलो से भी सम्पर्क करे । इस भाग का कार्यालयीन प्रभार श्री रमेश चौबे जी के पास है।

तीसरा भाग ग्राम सभा सशक्तिकरण अभियान है। यह अभियान नई समाज रचना के नाम से भी है। रामानुजगंज शहर के आस पास के एक सौ तीस गांवों को एक माडल के रूप मे बदलने का प्रयास है। यहां चार काम प्रारंभ है। (1) लोक और तंत्र के बीच की दूरी कम हो (2) वर्ग विद्वेष वर्ग समन्वय मे बदले (3) समाज म हिंसा पर से विश्वास घटे (4) गांव के सरपंच और सचिव किसी तरह का भ्रष्टाचार न कर पावें । यह कार्य सफलता पूर्वक बढ रहा है। यह प्रयोग भी पूरे विश्व के लिये एक अनूठी पहल के रूप मे खडा हो सकता है। आज तक भारत के किसी भी अन्य स्थान पर न ऐसा प्रयोग हुआ है न हो रहा है। यदि एक सौ तीस गांवो मे यह प्रयोग सफल रहा जैसी संभावना है तो ग्राम सभा सशक्तिकरण को आधार बनाकर पूरे भारत मे नई समाज रचना भी संभव है तथा इन गांवो मे भी कुछ अन्य विषय जोडे जा सकते है। यह कार्य मुख्य रूप से तो प्रसिद्ध गांधीवादी अविनाश भाई तथा राकेश शुक्ल कर रहे है किन्तु कार्यालयीन प्रभार श्री नरेन्द्र सिंह जी सम्हाल रहे है।

चौथा भाग ज्ञान केन्द्र का है । इसका उद्देश्य कुछ छोटे छोटे बच्चे को स्वतंत्र चिन्तन के क्षेत्र मे विकसित करना है। पांच अति अल्प व्यवस्क बच्चो को गोद लेकर उन्हे अधिकतम संभव सुविधाएं प्रदान की जायगी तथा उन्हे पूरी तरह स्वतंत्र चिन्तन की छूट दी जायगी। उन पर किसी प्रकार का धार्मिक सामाजिक पारिवारिक संस्कार नही डाला जायगा। प्रयास होगा कि वे स्वतंत्र चिन्तन के क्षेत्र मे आगे बढ। संभव है कि इनमे से कोई एक दो विश्व स्तरीय मौलिक विचारक के रूप मे बढ जावे । यदि इनमे से कोई एक भी बढ पाया तो समाज के लिये बहुत लाभदायक होगा। ज्ञान केन्द्र का अपना भवन होगा । इसी भवन से एक स्कूल तथा धर्मशाला का भी संचालन होगा।

ये चारो कार्य बिल्कुल स्वतंत्र रूप से चलेंगे जिनमे तीन तो चल रहे है तथा चौथे की तैयारी है। ये चारो कार्य अपने अपने खर्च की व्यवस्था स्वयं भी कर सकते है। साथ ही व्यवस्था परिवर्तन अभियान भी इनकी मदद करेगा। व्यवस्था परिवर्तन अभियान की सदस्यता पृथक से होगी। इसके तीन प्रकार के सदस्य होंगे। (1) सहायक सदस्य (2) संरक्षक सदस्य (3) ट्रस्टी सदस्य। सहायक सदस्य एक सौ रूपया वार्षिक संरक्षक सदस्य एक हजार रूपया वार्षिक तथा ट्रस्टी सदस्य दस हजार रूपया वार्षिक दान देंगे। यदि कोई आजीवन सदस्य बनना चाहता है तो दस वर्ष का दान एक बार मे देकर आजीवन सदस्य बन सकता है। सहायक सदस्य का पूरा दान ज्ञान क्रान्ति परिवार के कार्यो मे खर्च होगा। संरक्षक सदस्य का दान चारो समूहो को बराबर बराबर दे दिया जायगा। ट्रस्टी सदस्य का दान एक जगह ट्रस्ट मे जमा होगा जिसके खर्च की व्यवस्था ट्रस्ट स्वयं करेगा कि वह किस समूह को कितना दान दे।

इक्कीस सितम्बर से रूप रेखा बनाकर यह कार्य प्रारंभ हो चुका है । अब तक साठ ट्रस्टी सदस्य बन चुके है जिनका छ लाख रूपया वार्षिक प्राप्त होना प्रारंभ है। सहायक सदस्य और संरक्षक सदस्य भी बनने की प्रक्रिया जारो है। मैने स्वयं को इस सारी प्रक्रिया से निर्लिप्त कर लिया है। सबने अपना अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। प्रारंभ मे एक राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क यात्रा शुरू हुई है जिसमे नरेन्द्र जी, रावत जी तथा चौबे जी निकल रहे है। दिसम्बर माह मे कुछ क्षेत्र होकर आये है। चौबीस जनवरी से दुसरा चरण शुरू होगा जो मार्च के पहले सप्ताह बाद समाप्त होगा। इस सम्पर्क यात्रा मे सदस्यता अभियान नये केन्द्र की स्थापना तथा अन्य सम्पर्क होगा। ज्ञान तत्व की सदस्यता स्वैच्छिक शुल्क की है। ज्यादा से ज्यादा ज्ञान तत्व पाठक भी बनाने है।

हमारा यह प्रयास मेरे संतावन वर्षो के चिन्तन, शोध प्रयत्न के बाद मूर्त रूप ग्रहण कर रहा है। यह प्रयत्न भारत की सभी प्रमुख समस्याओ के समाधान का मार्ग प्रशस्त करेगा। वैसे तो इसका प्रभाव विश्व स्तरीय होना संभव है । अब तक कार्यरत संगठन या संस्थाओ के प्रयत्न कोई सार्थक परिणाम नही दे सके है। संभव है कि हमारे प्रयत्न उस कमी को पूरा कर दे। आपसे निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनकर तथा बनाकर इस काय मे सहायता करें। आप चारो मे से किसी भी समूह के निःशुल्क सदस्य भी बन सकते है। कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य संगठन या संस्था का सदस्य रहते हुए इस समूह का सदस्य बन सकता है।

मैने सत्तावन वर्ष पूर्व व्यवस्था परिवर्तन का कार्य शुरू किया था जो अब भी अधुरा है। उम्र और स्वास्थ के हिसाब से मैने बीच मे ही वह कार्य आप लोगो को सौप कर स्वयं को किनारे किया है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप लोग इस कार्य को और अधिक गति देकर आगे बढावे। मुझे स्पष्ट दिखता है कि व्यवस्था परिवर्तन का यह कार्य दो हजार उन्नीस तक निर्णायक मोड पर पहुंचना संभव है। आशा है कि व्यवस्था परिवर्तन अभियान को आपका समर्थन सहयोग मार्ग दर्शन तथा नेतृत्व मिलेगा।

बजरंग मुनि

उत्तरार्ध

ज्ञान कांति परिवार तथा लोक स्वराज्य मंच के तत्वावधान मे संयुक्त संपर्क यात्रा

प्रिय बन्धु ,

विदित हो कि श्री बजरंग मुनि जी के संरक्षण एंव श्री राम कृष्ण पौराणिक जी की अध्यक्षता मे कार्यरत ''ज्ञान क्रांति परिवार''तथा नवसृजित ''लोक स्वराज्य मंच'' द्वारा देश भर मे विभिन्न विषयों पर विचार मंथन तथा लोक स्वराज्य की अवधारणा के प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न कालखण्डो मे संम्पूर्ण देश मे संपर्क यात्रा आयोजित की जा रही है। यात्रा के द्वितीय चरण मे हम जिन केन्द्रो की यात्रा कर रहे हैं, उसकी समय सूचना विवरण के साथ पत्रक मे संलग्न है।

1: यात्रा का मूल उद्देश्य किसी भी विषय पर बहस करना नही अपितु समाज मे विभिन्न विचार धाराओं को मानने वाले लोगों के बीच बहस को प्रोत्साहित करना है, जिससे निष्कर्ष निकालने में भावनाओं के स्थान पर विचार मंथन का महत्व बढ़े तथा जिससे समाज मे स्थापित गलत मिथक, टूटकर सत्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो सके।

2: श्री बजरंग मुनि जी द्वारा सृजित **'भारत का प्रस्तावित संविधान'** नामक कृति पर जनमत जागरण।

3: **लोक संसद** विषय पर विशेष चर्चा, जिसका प्रारूप, पत्र के साथ संलग्न है।

4: **ज्ञान तत्व** पाक्षिक पत्रिका के लिए सुधि पाठक वर्ग का विस्तार तथा जो पाठक ज्ञान तत्व का स्वैच्छिक सदस्यता शुल्क देना चाहते ह या व्यवस्था परिवर्तन अभियान के सदस्य बनना चाहते है, उसका संग्रह करना। सहायक सदस्यता शुल्क वार्षिक एक सौ रूपया , संरक्षक सदस्य वार्षिक एक हजार रूपये तथा ट्रष्टी सदस्यता वार्षिक दस हजार रूपये है। आजीवन सदस्यता दस वर्ष का शुल्क एक साथ की मानी जाती है।

5: **ज्ञान कांति परिवार** के तत्वावधान मे छत्तीसगढ़ राज्य के रामानुजगंज जिले के रामचन्द्रपुर विकासखण्ड के 130 गांवों मे नई समाज रचना के विषय मे चलाये जा रहे अभियान की चर्चा करना।

6: संपर्क यात्रा मे अधिकतम चार लोग रहेंगें तथा किसी केन्द्र प्रभारी पर किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक प्रभार या अन्य खर्च नहीं डाला जाएगा।

आप ज्ञान कांति अभियान के केन्द्र प्रभारी है, आपसे प्रार्थना है कि आप सब साथियों एवं कार्यकर्ताओं से चचा करके आगे की रणनीति बनावें। आप स्वयं तथा अन्य मित्रो को चर्चा हेतु बुला सकें तो यह काम आसान हो सकता है। कार्यक्रम की तिथि तथा समय सूची पत्रक मे संलग्न है।

कृते संगठन सचिव 'ज्ञान कांति परिवार'

श्री पुष्पेन्द्र रावत 09899892380

संपर्क सूत्र :श्री रमेश कुमार चौबे 08435023029। श्री नरेन्द्र सिंह 07389890738 ।

विषेश आग्रह : केंद्र प्रभारी व सुधि पाठकों से निवेदन है कि ज्ञान तत्व के नए पाठकों की सूची बनाकर रखें तथा नये केन्द्र के सृजन का भी प्रयास करें। नये केन्द्र के सृजन हेतु आरम्भ मे बीस या उससे अधिक पाठक होंगें तो उचित रहेगा।

आप बजरंग मुनि जी से भी संम्पर्क कर सकते हैं 09617079344 ।

ज्ञान कांति परिवार तथा लोक स्वराज्य मंच के तत्वावधान मे संयुक्त संपर्क यात्रा कार्यक्रम विवरण

कसं.	दिनॉक	केन्द्र का नाम	केन्द्र संयोजक	दूरी कि.मी.	बैठक का समय	संपर्क सूत्र
01.	24.01.2013	डालटेन गंज (झारखण्ड)	श्री किशोरी लाल लाट श्री संतोष माखरिया	90 किमी.	दोप. 02 बजे	9431138410
02.	25.01.2013	बोकारो (झारखण्ड)	श्री राकेश यादव श्री कृष्णलाल रूंगटा	296 किमी.	सुबह. 09 बजे	9431123154,
03.	25.01.2013	धनबाद (झारखण्ड)	श्री जयकिशन जी	53 किमी.	दोप. 02 बजे	
04.	26.01.2013	राजगीर, नालंदा (बिहार)	श्री शिवकुमार प्रसाद सिंह	294 किमी.	दोप. 02 बजे	गणतंत्र दिवस 9934705849
05.	27.01.2013	आरा (बिहार)	श्री आचार्य धमेन्द्र	227 किमी.	सुबह. 10 बजे	9304074716
06.	28.01.2013	खगडिया (बिहार)	श्री राजेन्द्र राजेश श्री टी. पी जालान	236किमी.	सुबह. 10 बजे`	7631214645 9334615422
7	29.01.2013					
		बरबिघा बिहार मे मुनिजी के कार्यक्रमानुसार				
0.8	05.02.2013	दावतपुर, फतेहपुर (उ.प्र.)	श्री रामभूषण सिंह	484 किमी.	दोप. 03 बजे	9161258002
09.	06.02.2013	बैंदो, महोबा (उ.प्र.)	श्री विमलेन्द्र तिवारी	150 किमी.	सुबह. 10 बजे	969524293
10.	06.02.2013	पनवाड़ी, महोबा (उ.प्र.)	श्री तुलसी दास दुबे	25 किमी.	दोप. 02 बजे	885820251
11.	07.02.2013	मुरैना (म.प्र.)	श्री चतुरसेन भाई	271 किमी.	सुबह. 10 बजे	

12.	09.02.2013	अहमदाबाद (गुजरात)	श्री जयेन्द्र रमनलाल शाह	841 किमी.	सुबह.09 बजे	
13.	09.02.2013	नवरंगपुरा अहमदाबाद (गुजरात)	श्री राहुल मेहता	20 किमी.	दोप. 02 बजे	
14.	09.02.2013	राजसमन्द (राजस्थान)	श्री नरेन्द्र सिंह कछवाहा	300 किमी.	सुबह.10 बजे	9784293919
			श्री हीरा लाल, श्री माली			
15	10.02.2013	भीलवाड़ा (राजस्थान)	श्री अनिल राठी	92 किमी	सायं. 05 बजे	9214345421
			श्री हरिराम पूनिया			9829306979
16	11.02.2013	श्री हीरालाल शर्मा जी	हेतु आरक्षित दिन			9341122800
17.	12.02.2013	जयपुर (राजस्थान)	श्री ध्रुव सत्य अग्रवाल	340 किमी.	सुबह.11 बजे	9799384802
						9314506482
18	12.02.2013	जयपुर (राजस्थान)	श्री शंकर लाल शर्मा	20 किमी.	दोप. 02 बजे	9413236848
19	13.02.2013	शेखु सीकर (राजस्थान)	श्री महेश जाखड़	115 किमी.	सुबह.10 बजे	9460311523
20.	14.02.2013	जींद (हरियाणा)	श्री कृष्णसिंह आर्य	262 किमी.	सुबह.09 बजे	9416830347
21	14.02.2013	करनाल (हरियाणा)	श्री ईशम सिंह	86 किमी.	दोप. 02 बजे	9416035656
22	15.02.2013	कैथल (हरियाणा)	श्री ईशम सिंह	63 किमी.	सुबह.10 बजे	9416111590
23	15.02.2013	सीवन कैथल (हरियाणा)	श्री गुलशन बसल	30 किमी.	दोप. 02 बजे	90345088862
24	16.02.2013	शेरपुर,संगरूर (पंजाब)	श्री राकेश गर्ग	94 किमी.	सुबह.10 बजे	9417446421
			डॉ. संजय भाई			946321825
25	16.02.2013	पंजलासा, नारायणगढ़	श्री अर्पित अनाम	150 किमी.	सायं .06 बजे	9315642301
		अंबाला (हरियाणा)				
26.	17.02.2013	देहरादून (उतराखण्ड)	श्री विजय शंकर शुक्ल	228 किमी.	दोप. 10 बजे	1355278814
			श्री अरूण गोयल			94120 59395
29.	18.02.2013	अम्बोली (उ.प्र.)	श्री रति राम प्रधान	100 किमी.	सुबह.10 बजे	9758900775
			श्री सुभाषचन्द्र त्यागी			7870604730
			श्री राजसिंह त्यागी			
30.	18.02.2013	मु. नगर (उ.प्र.)	डॉ सुभाष जी	35 किमी.	दोप. 02 बजे	9837092763
31.	19.02.2013	पुरैनी, बिजनौर (उ.प्र.)	श्री कृष्णदेव सिंह	93 किमी.	सुबह.10 बजे	9758115830
32.	19.02.2013	बिजनौर (उ.प्र.)	श्री नरेश चौधरी	35 किमी.	दोप. 02 बजे	9837645359
			डॉ प्रकाश			
33.	20.02.2013	दौराला, मेरठ (उ.प्र.)	श्री जगशरण उपाध्याय	80 किमी.	सुबह.10 बजे	9720284173
			श्री प्रदीप भारद्वाज			
34.	20.02.2013	मेरठ (उ.प्र.)	श्री जितेन्द्र अग्रवाल	20 किमी.	दोप. 02 बजे	1212647144
35.	21.02.2013	गाजियाबाद (उ.प्र.)	श्री अजय भाई	46किमी.	सुबह.09 बजे	9136691311
36.	21.02.2013	दिल्ली	श्री सुरश शर्मा	33 किमी.	दोप. 01 बजे	991008250
37.	21.02.2013	नोएडा (उ.प्र.)	श्री घनश्याम दास गर्ग	20 किमी.	साय. 05 बजे	9810512491
			श्री पंकज गोयल			9312509495
38.	22.02.2013	पिलखुवा, हापुड. (उ.प्र.)	श्री छबीलसिह सिसोदिया	45 किमी.	सुबह.10 बजे	9760459770
			श्री महेन्द्र सिंह			9997764450
39.	22.02.2013	बनबोई बु.शहर (उ.प्र.)	श्री रणधीर सिंह	27 किमी	दोप. 02 बजे	8859081008
40.	24.02.2013	जटपुरा, जहॉगीराबाद (उ.प्र.)	श्री विजय सिंह बलवान	59 किमी	सुबह.09 बजे	
41	24.02.2013	सहावर,कॉशीरामनगर	डॉ. इस्लाम अहमद	135 किमी.	सायं. 04 बजे	9719672547
		(उ.प्र.)	डॉ. जगबहादुर चतुर्वेदी			8057768252
42.	25.02.2013	सहसवान, बंदॉयु (उ.प्र.)	श्री धर्मपाल सिंह	56 किमी.	सुबह.09 बजे	
43.	25.02.2013	बबराला (भीमनगर)	श्री रामवीर सिंह,	20किमी	दोप.12 बजे	97196725467
			शास्त्री जी			

44.	25.02.2013	धनारी ,संम्भल, भीमनगर (उ.प्र.)	श्री बहादुरसिंह यादव श्री ऋषि पाल यादव	12 किमी.	सायं. 04 बजे	9412564641
45.	26.02.2013	सरह,बरौलिया, संम्भल, भीमनगर (उ.प्र.)	श्री रणवीर सिंह	30 किमी.	सुबह.09 बजे	9719036467
46.	26.02.2013	बहजोई, भीमनगर (उ.प्र.)	श्री विरेन्द्र सिंह राघव	20 किमी.	दोप.12 बजे	9412474792
47.	27.02.2013	बाजपुर,उधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड)	श्री बबली जी उज्जवल इंटरप्राजेस, शिवमंदिर मार्केट	159 किमी.	सुबह.10 बजे	9927573474
48.	28.02.2013	अलमोड़ा (उत्तराखण्ड)	श्री रघुवरसिंह , अराधना कल्याण समिति मेन मार्केट	120 किमी.	सायं. 10 बजे	
49.	28.03.2013	ताकुला, अलमोड़ा (उत्तराखण्ड)	श्री एन.एस. नेगी, अराधना कल्याण समिति भैसोड़ी	33 किमी.	सुबह.2 बजे	
50.	01.03.2013	बागेश्वर (उत्तराखण्ड)	श्रो हेम तिवारी ,श्री प्रेमवालेभ, निकट आर.टी.ओ. ऑफिस	42 किमी.	दोप.02 बजे	
51.	02.03.2013	दुबौला, पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)	श्री शशांक भारती	142 किमी.	दोप.03 बजे	9889588701
52.	03.03.2013	खजूरियाघाट, बरेली (उ.प्र.)	श्री जीतेन्द्र कुमार मौर्य	260 किमी.	दोप.02 बजे	9719666977
53.	03.03.2013	बरेली (उ.प्र.)	श्री राजनारायण गुप्त	20 किमी.	सायं. 05 बजे	5812456452
54.	04.03.2013	मोबारिकपुर बाराबंकी (उ.प्र.)	श्री विजय सिंह	282 किमी.	दोप.02 बजे	9956500688
55.	04.03.2013	गोण्डा (उ.प्र.)	श्री चित्रागंद श्रीवास्तव श्री मिथिलेश मिश्र	90 किमी.	सायं. 06 बजे	9161228382 9451043916
56.	05.03.2013	रूदौली, फैजाबाद (उ.प्र.)	श्री कैलाशनारायणतिवारी श्री सत्यदेव गुप्त	100 किमी.	सुबह.11 बजे	9161228382 9454283012
57.	05.03.2013	गोरखपुर (उ.प्र.)	श्री ओंकारनाथ तिवारी	186 किमी.	सायं. 06 बजे	
58.	06.03.2013	कप्तानगंज , कुशीनग (उ.प्र.)	श्री उमाशंकर यादव	55 किमी.	सुबह.09 बजे	
59.	06.03.2013	देवरिया, (उ.प्र.)	श्री चंद्रिका चौरसिया	55 किमी.	दोप.02 बजे	
60.	07.03.2013	भोरे गोपालगंज (बिहार.)	श्री अखिलेश पाण्डेय श्री जगत नारायण सिंह	38 किमी.	सायं. 06 बजे	.9934457673 6150276530
61.	08.03.2013	बेल्थरा रोड,बलिया(उ.प्र.)	श्री अरूण श्रीवास्तव श्री राम नगीन शास्त्री	67 किमी.	सुबह.10 बजे	9935620619
62.	08.03.2013	मउ (उ.प्र.)	श्री उमा पति पाण्डेय श्री राम नगीन शास्त्री	50 किमी.	दोप.02 बजे	5472224771
63.	09.03.2013	गाजीपुर (उ.प्र.)	श्री गोपालकृष्ण राय श्री राम चन्द्र दूबे	44 किमी.	सुबह.10 बजे	9838933180